

प्र.का. 7 भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110 607
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi – 110 607

असाधारण आम बैठक
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक : सोमवार, 04 मार्च 2013
पूर्वाह्न 11.00 बजे
DATE: MONDAY, 04TH MARCH, 2013
TIME: 11.00 A.M.

स्थान:
पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम,
केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज,
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस,
दिल्ली-110054

Venue:
Punjab National Bank Auditorium
Central Staff College
8, Underhill Road, Civil Lines
Delhi 110054

विषय वस्तु
CONTENTS

पृष्ठ सं०
Page No.

सूचना NOTICE	1/4
व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT	2/6
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	7/8
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	11/12

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT CALENDER OF EVENTS

असाधारण आम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों की कट ऑफ तिथि Cut off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the EGM	मंगलवार, 29 जनवरी 2013 Tuesday, 29 th January, 2013
प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति से सम्बंधित संकल्प व प्रॉक्सी फार्मों को जमा करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	बुधवार, 27 फरवरी, 2013 Wednesday, 27 th February, 2013

प्र.का. 7 भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 607
(ई-मेल :hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँठक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, दिनांक 04 मार्च 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में सम्पन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970(जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'योजना' कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँठक) विनियमन, 2000 जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा, के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'अधिनियम' कहा जायेगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक,(आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(सेबी), और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को(जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'निदेशक मंडल' कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 76(1) के अनुसरण में मंडल द्वारा निर्धारित रु. 10/- के अंकित मूल्य के 1,42,94,713 तक इक्विटी शेयर अधिमान आधार पर रुपये 873.05 प्रति इक्विटी शेयर का सजुन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करें।

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 01.02.2013 है।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/ जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किये जाने वाले एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जायेंगे एवं "सेबी आईसीडीआर विनियमन" के अध्याय VII के अंतर्गत अवरूढ़ता अवधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश सहित यदि घोषित हो, सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएँ, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से सम्बन्धित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके सम्बन्ध में अपना अनुमोदन दे दिया है।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी(अधिकारियों)को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।'

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

टिप्पणियाँ :

1. बैठक के कारोबार के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों को दर्शाने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न है।
2. उपर्युक्त बैठक के अलग-अलग नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि होंगे जिन्हें बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in(निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
3. वैध उपस्थिति पर्ची व प्रवेश-पत्र तथा सही पहचान के साथ ही बैठक में प्रवेश दिया जायेगा।
4. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।
5. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस निर्णय की सत्यप्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को न मिल जाये।
6. प्रॉक्सी फार्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के **कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001** में बैठक की तिथि से 4 दिन पहले तक अर्थात् **बुधवार, 27 फरवरी, 2013 को सायं 5.00 बजे तक** अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाये।
7. **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास**
 - i. शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि यथा स्थिति लिखें।
8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसा प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है।
9. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जायेंगे।

10. वोटिंग अधिकार

- i. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्स्थानी न्यू बैंक(Corresponding New Bank) का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 1% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है।
 - विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा।
 - उपर्युक्त के अध्यक्षीन, विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे **कट-ऑफ तिथि अर्थात् 29.01.2013** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ उठा करके केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा और मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।

व्याख्यात्मक कथन

1. अधिमान आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम सेबी(आईसीडीआर) विनियमनों के अध्यक्षीन यथापेक्षित प्रकटन

अ) अधिमान निर्गमों का उद्देश्य

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने की पहल में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में इसकी धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की धारिता 56.1% है और भारत सरकार ने सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 76(i) के अनुसार मंडल द्वारा निर्धारित किए गए रुपये 10/- अंकित मूल्य के 1,42,94,713 तक इक्विटी शेयरों में अधिमान आधार पर रुपये 873.05 प्रति इक्विटी शेयरों में निवेश करने का निर्णय लिया है। इक्विटी शेयरों का आबंटन 19.03.2013 तक पूरा हो जाएगा। वर्धित पूंजी का उपयोग बैंक अपनी अनुसंगियों और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से किये गये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों को शामिल करके उनकी सहायता हेतु कर सकेगा।

ब) यह संपूर्ण अधिमान निर्गम भारत सरकार -बैंक के प्रवर्तक द्वारा सब्सक्राइब किया जायेगा। निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76(i) के अनुसार होगा। निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 01.02.2013 है।

स) शेयरों के जारी करने से पूर्व और पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्रम सं.	वर्ग	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात्	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
अ	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	19,02,76,876	56.1%	**	**
ब	गैर-प्रवर्तक धारिता	14,89,01,807	43.9%	**	**
	कुल	33,91,78,683	100.00	..	100

** भारत सरकार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76 के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य रुपये 873.05 प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य रुपये 10/-), अधिमान आधार पर 1,42,94,713 इक्विटी शेयरों तक में निवेश करेगी ।

घ) बैंक का सेबी आईसीडीआर विनियमनों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास है ।

ड) चूंकि सम्पूर्ण निर्गम भारत सरकार, प्रमुख शेयरधारक और बैंक के प्रवर्तक को अधिमान आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा ।

च) भारत सरकार की पूर्व और पश्चात् निर्गम शेयरधारिता निम्नवत् होगी :-

	शेयरों की संख्या	पूँजी का अनुपात
निर्गम पूर्व	19,02,76,876	56.1%
निर्गम-पश्चात्	**उपर्युक्त 'स' में दिए गये टिप्पण के अनुसार	**उपर्युक्त 'स' में दिए गये टिप्पण के अनुसार

छ) बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीयन छः माह से अधिक समय पहले हो चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों, 2009 के विनियम 76(3) और 78(5) तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 73(1) (एफ) और (जी) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

ज) जारी किये जाने वाले और भारत सरकार को आबंटित किये जाने वाले सभी इक्विटी शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध होंगे ।

झ) सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार जारी किया जा रहा है, निर्गम बैठक में पटल पर रखा जायेगा ।

ञ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डीमेट रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में विनिर्दिष्टानुसार इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन करता है ।

ट) भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयर जारी किये जायेंगे किन्तु उपबन्ध यह है कि सम्बद्ध समय में सेबी(आईसीडीआर) विनियमन, 2009 व संशोधन, यदि कोई है, लागू होगा ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01/02/ 2013

(के आर कामत)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Head Office : 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email – hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Monday, the 4th March, 2013 at 11.00 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi 110054, to transact the following business:

1. Issue of Equity Shares on Preferential Basis

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the **Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970** (hereinafter referred to as the 'Act') read with **The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970** (hereinafter referred to as the 'Scheme') and **Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000** (hereinafter referred to as the "Regulations") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot upto 1,42,94,713 Equity Shares of face value of ₹10/- each to GOI on preferential basis at a price of ₹ 873.05 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations."**

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 01.02.2013.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" and shall rank *pari passu* in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute

discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

(K. R. Kamath)
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
Date: 01/02/ 2013

NOTES:

1. The explanatory statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
2. Individual notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are also available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in. (Investor Info Page)
3. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass with proper identification.
4. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.
5. No person shall be entitled to attend or vote at the Extra-ordinary General Meeting as a duly authorised representative of a body corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank.
6. The Proxy Form/ Authorised Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank by the **Company Secretary, Share Department, Finance Division, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, the 27th February, 2013.**
7. **ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS**
For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.

10. VOTING RIGHTS

- o In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- o As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.
- o Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-off Date i.e. 29.01.2013** shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Issue of Equity Shares on preferential basis to GoI

Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations,

a) Objects of the Preferential Issue

In an initiative to strengthen the capital base of the Public Sector Banks, the Government of India decided to raise its holding in Public Sector Banks (PSBs). At present in our Bank, the holding of GoI is 56.1% & GoI has decided to invest upto 1,42,94,713 equity shares of face value of ₹ 10/- each on preferential basis at a price of ₹ 873.05 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The allotment of equity shares will be completed by 19.03.2013. The capital raised would be utilized to enable the Bank to support national and international banking operation undertaken including through its subsidiaries and associates.

- b) The entire preferential issue will be subscribed by the GoI – the promoter of the Bank. The issue price has been determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The relevant date for ascertaining the issue price is 01.02.2013.
- c) Shareholding pattern before and after the issue.

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (GoI)	19,02,76,876	56.1%	**	**
B	Non Promoter Holding	14,89,01,807	43.9%	**	**
	Total	33,91,78,683	100.00	..	100.00

** GoI will invest upto 1,42,94,713 equity shares of face value of ₹ 10/- each on preferential basis at a price of ₹ 873.05 per equity share determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations.

The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

- d) As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.
- e) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	19,02,76,876	56.1%
Post - issue	** as per remarks given at c) above	** as per remarks given at c) above

- f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.
- g) All the equity shares to be issued and allotted to the GoI shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.
- h) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.
- i) All the equity shares held by the GoI are in dematerialized mode and the Bank has complied with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- j) The issuance of equity shares in favour of GoI shall be subject to SEBI(ICDR) Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.

By order of the Board of Directors
for PUNJAB NATIONAL BANK

(K.R. KAMATH)
Chairman & Managing Director

Place: NEW DELHI
Date: 01/02/ 2013

प्रधान कार्यालय, 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110607

फार्म- "बी"

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं०(मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं.	
ग्राहक आईडी सं०(अमूर्त शेयरों के लिए)	
शेयरों की सं०	

मैं/हम _____ राज्य _____ के जिला _____ का/की/के निवासी
 _____ पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते _____ एतद्वारा
 _____ राज्य के _____ जिला _____ के निवासी
 श्री/श्रीमती _____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर _____ राज्य
 के जिला _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को **सोमवार दिनांक 04 मार्च, 2013**
को प्रातः 11.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में जो **पंजाब नैशनल बैंक**
ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में आयोजित होगी तथा इसके
 अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करती हूँ/करते हैं ।

रसीदी
टिकट

_____ माह के _____ दिन, 2013 को हस्ताक्षरित ।

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

प्रथम धारक /एकल
शेयरधारक के हस्ताक्षर

Head Office: 7, Bhikhajji Cama Place, New Delhi – 110 607

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, _____ resident/s of _____
in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/s of
Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of
_____ in the district of _____ in
the state of _____ or failing him/her,
Shri/Smt. _____ resident of _____
in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for
me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of
the Bank to be held on **Monday, the 4th March 2013, at 11.00 a.m., at Punjab National
Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi – 110054**
and at any adjournment thereof.

Revenue
Stamp

Signed this _____ day of _____ 2013.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____

प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्राक्सी दस्तावेज तभी वैध होगा, जब
 - क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम पर शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या उसके अटार्नी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।
 - ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा अथवा इसके लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।
 - घ) विधिवत् स्टाम्पित फार्म 'बी' में होगा
2. प्राक्सी दस्तावेज जिस पर शेयरधारक द्वारा अगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो ।
3. **प्रॉक्सी जिसके साथ में**
 - क. पॉवर ऑफ अटार्नी या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - ख. उक्त पॉवर आफ अटार्नी या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटेरी या मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम 4 दिन पहले **बुधवार, 27 फरवरी 2013 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00** बजे से पहले शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्र.का. 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में जमा करवा दिया जाए ।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक में या इसके शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामे में पंजीकृत संख्या और पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. बैंक के पास जमा प्राक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा ।
6. यदि प्राक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक प्राक्सी को निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
7. जिस शेयरधारक ने प्राक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।
8. इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा । ऐसे में प्राक्सी, प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।
9. कोई व्यक्ति **पंजाब नैशनल बैंक** के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है ।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing,
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Finance Division, Punjab National Bank, Head Office: 5, Sansad Marg, New Delhi – 110 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of Wednesday, the 27th February, 2013.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110 607

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र

असाधारण आम बैठक

सोमवार, 04 मार्च, 2013 समय प्रातः 11.00 बजे

पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज

8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली -110054

उपस्थिति पर्ची

(उपस्थिति पंजीकरण के समय लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी /ग्राहक आईडी सं०	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

प्रधान कार्यालय : 7, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110 607

असाधारण आम बैठक

सोमवार, 04 मार्च, 2013 समय प्रातः 11.00 बजे

प्रवेश पत्र

(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी /ग्राहक आईडी सं०	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा। किसी भी स्थिति में कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

HEAD OFFICE : 7, Bhikhajji Cama Place, New Delhi 110607

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
MONDAY, THE 4TH MARCH, 2013 AT 11.00 A.M.
AT PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE,
8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-110 054

ATTENDANCE SLIP
 (To be surrendered at the time of registration of attendance)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

HEAD OFFICE : 7, Bhikhajji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
MONDAY, THE 4TH MARCH, 2013 AT 11.00 A.M.

ENTRY PASS
 (To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorized Representative)	REGD. FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorized Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to produce Attendance slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.